उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग–1
संख्या–1241 / 53–1–2021
लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास करने, दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मेक इन यू0पी0 को प्रोत्साहन, नये रोजगार सृजन, अनुसन्धान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन तथा समस्त स्टेक होल्डर्स (हितधारक) को अधिकाधिक लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना संख्या–1 / 2018 / 548 / 53–1–2018–01(विविध) / 2018, दिनांक–07.06.2018 द्वारा "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" प्रख्यापित की गयी है। "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" के बिन्दु संख्या–9.1, 9.2, 9.3 एवं 10.2 में की गयी व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या–791 / 53–1–2018–01(विविध) / 2018, दिनांक 10 अगस्त, 2018 द्वारा आवेदनों / परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत एवं धनावंटन हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति, मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति, जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा तकनीकी एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया था।

2– कालान्तर में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1188 / 53–1–2021– 01(विविध) / 2018, दिनांक–21.10.2021 द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के बिन्दु संख्या–9.1, 9.2, 9.3 एवं 10.2 में उल्लिखित विभिन्न समितियों के गठन किये जाने में संशोधन किया गया है।

3– अतः शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1188 / 53–1–2021–01(विविध) / 2018, दिनांक–21.10.2021 द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के बिन्दु संख्या–9.1, 9.2, 9.3 एवं 10.2 में किये गये उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–791 / 53–1–2018–01(विविध) / 2018, दिनांक 10 अगस्त, 2018 में गठित समितियों के स्थान पर आवेदनों / परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत एवं धनावंटन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति, मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति, जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा मूल्यांकन एवं परीक्षण समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है–

(1)– राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति

1	मुख्य सचिव / प्रतिनिधायित अधिकारी, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
4	प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	संयोजक सचिव
5	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव / सचिव, लघु उद्योग विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव / सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य

....2 / –

11	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
15	प्रमुख सचिव/सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
16	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
17	आयुक्त, आबकारी, उत्तर प्रदेश	सदस्य
18	दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
19	परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ	सदस्य
20	निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ	सदस्य
21	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य
22	निदेशक/डीन, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	सदस्य
23	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित अन्य प्रतिनिधि	सदस्य
24	निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (सीएफटीआरआई) मैसूर द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
25	औद्योगिक संगठनों (HA.CH.Assocham & PHD Chamber of Commerce & Industries) द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नामित एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
26	स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि	सदस्य
	❖ मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण शासकीय कार्यो में व्यस्तता होने या उपलब्ध न होने की दशा में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिनिधायित अधिकारी के रूप में नामित कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता की जायेगी। ❖ उक्त कमेटी उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति, अनुश्रवण तथा स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (उ0प्र0दुग्ध नीति–2018) के रूप में अधिकृत होगी। ❖ उक्त कमेटी की बैठक त्रैमास में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।	

...3/—

(2)– मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी	सदस्य
3	मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, कृषि	सदस्य
6	पशुपालन विभाग के मण्डलीय अधिकारी	सदस्य
7	मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य– सचिव
8	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषदएवं लीड बैंक के मण्डल स्तरीय अधिकारी।	सदस्य
9	सम्बन्धित उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य

(3)– जनपद स्तर पर परियोजना कियान्वयन समिति

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	सहायक निदेशक, मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
7	अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	सदस्य
8.	प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी	सदस्य
9	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य–सचिव

(4)– मूल्यांकन एवं परीक्षण समिति–

1	प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा नामित प्रतिनिधि (पी0एफ0ए0डी0 प्रभाग)	सदस्य
3	दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य–सचिव
4	अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
5	प्रबन्ध निदेशक पिकप अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	हेड सी0एफ0टी0आर0आई0 लखनऊ	सदस्य
7	प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ	सदस्य
8	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु	सदस्य
9	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0	सदस्य
10	वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
11	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य

...4/–

	❖ उक्त समिति के सदस्य सचिव, उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कराते हुये समिति के समक्ष मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगें। उक्त समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर औपचारिकताओं से पूर्ण प्रस्तावों को मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष अपनी संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी। ❖ दुग्ध आयुक्त के पदासीन न होने की स्थिति में अपर दुग्ध आयुक्त सदस्य–सचिव के दायित्वों का सम्पादन करेगें।

4— उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–791/53–1–2018 –01(विविध)/2018, दिनांक 10 अगस्त, 2018 को संशोधित समझा जाय।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या–1241(1)/53–1–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29–पार्क रोड, लखनऊ।
12- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
15- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
16- वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–1/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1
17- शासन के अतिरिक्त समितियों के अन्य सदस्यगण। (द्वारा दुग्ध आयुक्त)
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।